

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 193/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/372

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
रामचन्द्र उर्फ सन्दुराम पुत्र रुघनाथ जाति सुथार निवासी रामासीया हेमवास तहसील पाली जिला पाली		1. ग्राम पंचायत हेमवास, पंचायत समिति पाली 2. स्व. बाबुलाल पुत्र रघुनाथ के कायम मुकाम 2/1 आन्नद कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सुथार निवासी रामासीया हेमवास तहसील व जिला पाली 3. सुन्दर कवर पत्नी जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली।

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 2/1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

—: निर्णय :-

दिनांक : 20/05/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमवास द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2013 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौरान बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी आनन्दकुमार का सामलाती पुश्तैनी मकान जिसकी लम्बाई 75 फीट व चौड़ाई 35 फीट है रामासीया में स्थित है। रुघनाथजी के दो पुत्र प्रार्थी एवं मृतक बाबुलाल है। मृतक बाबुलाल ने ग्राम पंचायत से मिलकर अकेले के नाम दिनांक 19.08.2013 को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत ने बिना किसी प्रक्रिया के अप्रार्थी के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) के परिपत्र दिनांक 19.04.2017 के द्वारा भी स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जैर आराजी के सम्बन्ध में फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है। ग्राम

अति. जिला कलक्टर, पाली

पंचायत ने अप्रार्थी को अनैतिक लाभ पहुंचाने की नियत से विधिविरुद्ध तरीके से उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/2 ने दौराने बहस यह कथन किया कि जैर आराजी पर केवल अप्रार्थी ही काबिज था तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य मौखिक बंटवारा हो रखा है एवं उसी अनुरूप अप्रार्थी बाबुलाल ने अपने हिस्से की भूमि का पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत से स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करवाया, जो विधिनुरूप है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) का परिपत्र दिनांक 19.04.2017 का है जबकि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2013 है और इस परिपत्र में भूतलक्षी क्रियान्वन के प्रावधान नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर आराजी को अपनी पैतृक सम्पत्ति बताई लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। ये सम्पत्ति बाबुलाल अकेले की थी इस कारण और गेरे पडौस में स्थित है जिसमें मैंने जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज से क्रय की है। पंचायती राज में लम्बे समय से कब्जे के आधार पर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधान है। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में एक फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है, जिसके अनुसार उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र की जानकारी प्रार्थी को वर्ष 2014 में ही हो चुकी थी उसके उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी ने 10 वर्ष देरीना जैर निगरानी प्रस्तुत की। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर एवं बिना विधिक आधारों पर होने से खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमाबास द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2013 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी को उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र की जानकारी वर्ष 2014 में ही हो गयी थी, उसके उपरान्त उन्होंने जैर निगरानी याचिका लगभग 10 वर्ष देरीना प्रस्तुत की एवं उक्त देरीना के भी कोई उपर्युक्त कारण नहीं बताये इसलिये जैर निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में उज्र किया कि यह बात सही है कि प्रार्थी को उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र की जानकारी वर्ष 2014 में हो गयी थी लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह निगरानी पेश करने में असमर्थ रहा। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष के स्वीकारोक्ति से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी को प्रश्नगत स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2013 की जानकारी वर्ष 2014 से है हालांकि म्याद किसी भी प्रकरण का एक तकनीकी बिन्दु है, हस्तगत प्रकरण स्वामित्व प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में है, जो प्रकरण को विशेष प्रकृति का बनाता है, इसलिये हम प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 10 वर्षों के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह



कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त स्वामित्व प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्व. बाबुलाल का शामलाती, पुस्तैनी मकान आया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत ने विधिविरुद्ध तरीके से अप्रार्थी स्व. बाबुलाल के पक्ष में प्रश्नगत स्वामित्व प्रमाण पत्र बना दिया, जो कि परिपत्र दिनांक 19.04.2017 के अनुसार भी गलत है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि पंचायती राज में लम्बे समय से कब्जे के आधार पर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधान है और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा दिनांक 19.04.2017 को परिपत्र जारी हो रखा है जिसमें भूतलक्षी क्रियान्वन के प्रावधान नहीं हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी स्व. बाबुलाल के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.08.2013 को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी हो रखा है परन्तु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायतों को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार इस अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं हैं अर्थात् स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के गठन, उनके अधिकार, कर्तव्य और कार्यों के संचालन से सम्बन्धित है। इसमें भूमि स्वामित्व या भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के जारी करने का उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्व विभाग और भू-राजस्व अधिकारी भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित मामलों में अधिकृत हैं, न कि पंचायती राज विभाग। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2010 (4) WLN 105 (Raj) Moti Lal & Ors. vs State & Ors. के अनुसार It is very strange that no such type of title certificate is defined and provided under the Panchayat Act of the Rules, so also, no title can be given by way of issuing such "Land Ownership Certificate" by Sarpanch of any Gram Panchayat but with the connivance of Sarpanch, the applications were filed by the petitioners under their signatures are those applications were considered and upon the prayer made by the petitioners, these certificates were issued by the Sarpanch, Nadol, Which is totally in contravention of the Panchayat Act and the Rules because there is no provision in the Panchayat Act and Rules to issue so called "Land Ownership Certificate" to create any title in favor of petitioners. अर्थात् उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पंचायत अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के हक सम्बन्धी प्रमाणपत्रों को परिभाषित व प्रावधानित नहीं किया गया है।"

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) राजस्थान सराकर का परिपत्र 2016/325 दिनांक 19.04.2017 में "कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्तर पर स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं।




इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस तरह के प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाये।" अंकित है। उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट अंकित है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही कोई भी परिपत्र किसी अधिनियम का ही संक्षिप्त रूप होता है और हस्तगत प्रकरण में सम्बन्धित अधिनियम वर्ष 1994 से प्रभावी है। लिहाजा यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई अधिकार नहीं था, उसके उपरान्त ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज अधिनियम में विहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया, जिसको कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
अति. वित्ता कलेक्टर पाली